भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3445

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में अस्पतालों का निजीकरण

3445. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में स्थित अस्पतालों द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के बाहर स्थित अस्पतालों में रेफर गए दमन और दीव के निवासियों की अस्पताल-वार और वर्षवार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के क्या कारण है, जिनके फलस्वरूप उन्हें बाहरी अस्पतालों में रेफर करना पड़ा;

(ग) उक्त संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है, ये पद कब से रिक्त हैं और इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त संघ राज्य क्षेत्र के अस्पतालों को निजी संस्थानों को सौंपा जा रहा है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और किस सरकारी नीति के तहत इन अस्पतालों को निजी संस्थानों को सौंपा जा रहा है; और

(ङ) क्या इन अस्पतालों को निजी संस्थानों को सौंपने के बाद मरीजों को निःशुल्क उपचार मिलने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): इस विषय पर दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव (डीएनएच और डीडी) संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित कोई केंद्रीकृत डेटा नहीं रखा जाता है । दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र के बाहर स्थित अस्पतालों में रेफर किए गए दमन एवं दीव के निवासियों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	दमन जिले से रेफर किए गए निवासियों की संख्या	दीव जिले से रेफर किए गए निवासियों की संख्या
2020	110	195
2021	59	197
2022	127	254
2023	111	321
2024	111	286

(ख): रोगियों को विभिन्न कारणों से जैसे कि रोगियों/उनके परिचारकों के अनुरोध पर, या यदि रोगियों के लिए अपेक्षित स्वास्थ्य परिचर्या सेवा उस संघ राज्य क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं, या स्पेशियलिटी और सुपर-स्पेशियलिटी परामर्श की आवश्यकता के कारण उस संघ राज्य क्षेत्र के बाहर स्थित अस्पतालों में रेफर किया जाता है।

(ग) : संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव के अंतर्गत आने वाले सरकारी अस्पतालों में भरे जाने वाले पदों की संख्या **273** (डीएनएच - 165, दमन - 71 और दीव - 37) **है**। ये रिक्त पद (क) पदों के सृजन की आवश्यकता, (ख) सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता और (ग) पदधारियों के त्याग-पत्र के कारण उत्पन्न हुई हैं। भर्ती एक सतत प्रशासनिक प्रक्रिया है और मौजूदा भर्ती नियमों के आधार पर होती है।

(घ) और (ङ): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

****